

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जीयनपुरनाजायज गाजा व हिरोईन बेचने वाले 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 03 किलो 150 ग्रामनाजायज गाजा व 25 पुडिया हिरोईन बरामद

दिनांक 24/09/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव, उ.नि. भगत सिंह मय हमराही के कस्बा जीयनपुर में मौजूद थे व आपस में अपराध एंव अपराधियों के सम्बन्ध में वार्ता कर ही रहे थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रजादेपुर पुलिसिया के पास तीन व्यक्ति खडे है कही जाने की फिराक मे वाहन का इन्तजार कर रहे है उनके पास नाजायज गांजा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रजादेपुर पुलिसिया के पास खडे तीनों व्यक्तियों को पुलिसिया से 15 से 20 कदम की दूरी पर (1) विपुल कुमार पुत्र दयानन्द उम्र 21 वर्ष निवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (2) सूरज पुत्र रामानन्द उम्र करीब 22 वर्ष निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (3) सोनू कुमार पुत्र शिवकुमार उम्र 20 वर्ष निवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को घेर कर समय 19.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया, जिनके पास से 03 किलो 150 ग्राम नाजायज गाजा बरामद किया गया तथा कस्बा जीयनपुर आजमगढ़ के पास से अभियुक्त फखरे आलम पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैशनगर कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय 21.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा पास से 25 पुडिया (3250 मिली) हिरोईन बरामद कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0-268/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-269/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-270/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-271/2021 धारा-8/21 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –अभियुक्त विपुल कुमार पुत्र दयानन्द निवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

मु0अ0सं0-268/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं-369/2020 धारा- 3/25 आर्म्स एकट थाना मधुबन जनपद-मऊ

अभियुक्त सूरज पुत्र रामानन्द निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

मु0अ0सं0-269/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-365/2019 धारा- 457,308,411 भादवि थाना मधुबन मऊ ।

सोनू कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

मु0अ0सं0-270/2021 धारा-8/20 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

अभियुक्त फखरे आलम पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैशनगर कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0-271/2021 धारा-8/21 एन..पी.एस. एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0- 94/2019 धारा-3(1) यूपी गैग्रेस्टर एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-114/2018 धारा-3/5/8 गोबध नि.अधि.थाना जीयनपुर आजमगढ़।
 मु0अ0सं0-115/2018 धारा-4/25 आर्म्स एकट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

बरामदगी –

1. 03 किलो 150 ग्राम नाजायज गाजा
2. 25 पुडिया (3250मीली) हिरोईन बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- (1) विपुल कुमार पुत्र दयानन्द निवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
- (2) सूरज पुत्र रामानन्द निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
- (3) सोनू कुमार पुत्र शिवकुमारनिवासी सियरही वर्जला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
- (4) फखरे आलम पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैशनगरकरबा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि.चन्द्रशेखर यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. उ.नि. भगत सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का0 अभिषेक कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. हे0का0 सत्येन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
5. का0 सुमित राव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
6. का0 मूलचन्द थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना-अहरौला

थाना तहबरपुर से गो-हत्या व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2021 धारा 307 भादवि 3/5A/8 गौ हत्या नि0अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 बावत एक पिकअप वाहन में वध करने हेतु लदे 06 अदद जानवर(गोवंश) की बरामदगी व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में थाना तहबरपुर से सगीर अहमद उर्फ बादशाह पुत्र स्व0 जमील अहमद साकिन सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ वांछित अभियुक्त हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोर, लुटेरे, नकबजन आदि की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष अहरौला के कुशल नेतृत्व में थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2021 धारा 307 भादवि 3/5A/8 गौ हत्या नि0अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 बावत एक पिकअप वाहन में वध करने हेतु लदे 06 अदद जानवर(गोवंश) की बरामदगी व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में थाना तहबरपुर से वांछित अभियुक्त सगीर अहमद उर्फ बादशाह पुत्र स्व0 जमील अहमद साकिन सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद नाजायज तमंचा 0.12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.12 बोर के साथ केदारपुर नहर पुलिया पर समय करीब 05.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

***पंजीकृत अभियोग*-**

1- मु0अ0सं0 149/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़

***आपराधिक इतिहास*-**

1. मु0अ0सं0 149/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 64/2021 धारा 307 भादवि 3/5A/8 गौ हत्या नि0अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना तहबरपुर आजमगढ़

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1- सगीर अहमद उर्फ बादशाह पुत्र स्व0 जमील अहमद साकिन सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

***बरामदगी*-**

1- एक अदद तमंचा 0.12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.12 बोर

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1- उ0नि0 अमरनाथ यादव, हे0का0 विनोद कुमार गौतम, थाना अहरौला आजमगढ़

2- का0 संदेश यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ थाना अहरौला आजमगढ़

थाना-तहबरपुर

गोवध से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह * द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वाँछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2021 को SHO अनुराग कुमार मय उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय राह द्वारा तलाश वाँछित अभियुक्त टीकापुर तिराहेपर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई की मु0अ0सं0 64/21 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी सरायमोहिउद्दीनपुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर इस समय सोफीपुर चौराहे पर मौजूद है कही जाने की फिराक में किसी साधन का इन्तजार कर रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर सोफीपुर नहर पुलिया से अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी सरायमोहिउद्दीनपुर, थाना सरपहा, जनपद जौनपुर को समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु0अ0सं064/21 धारा 307 भादवि, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:

1- राहुल गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी सराय मोहिउद्दीनपुर, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 अनुराग कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
3. का0 जितेन्द्र कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
4. का0 सूरज पाण्डेय थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
5. का0 धर्मराज चौधरी थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

स्कोर्पियो व वैगनआर गाडी से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.09.2021 को उपरोक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा स0पु0अ0 / क्षेत्राधिकारी सदर अभिजित आर. शंकर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि दो अदद वाहन क्रमशः स्कोर्पियो व वैगनआर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब हरियाणा से आजमगढ़ होते हुए बिहार जाने वाली है इस सूचना पर क्षेत्र में लगे पुलिस बल की टीम गठित कर वेलकम ढाबा के ग्राम जमुड़ी के पास आजमगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनो की चेकिंग करने लगे कि समय लगभग प्रातः 05.00 बजे चेकिंग स्थल से करीब 50 - 100 मीटर पहले दोनो वाहन रुक गये शंका होने पर वाहन की तरफ पुलिस बल के बढ़ने पर दोनो वाहनो में बैठे व्यक्ति वाहन का गेट खोलकर हल्के अन्धेरे का फायदा उठाकर गांव की तरफ भाग गये , वाहनो की तलाशी ली गयी तो वाहन स्कोर्पियो नं0 UP - 32BP – 4042 से 260 बोतल 180 ML का 80 बोतल 375 ML का, 110 बोतल 750 ML का कुल 450 बोतल तथा गाडी नं0 UP - 14AM - 0730 वैगनआर से 210 बोतल 180 MLका, 50 बोतल 375 MLका, 70 बोतल 750 ML का IMPERIAL BLUE हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***पंजीकृत अभियोग का विवरण*—**

1. मु0अ0सं0 – 191/2021 धारा 60,63,72 Ex. Act. थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

***बरामदगी का विवरण* –**

1. 750 ML की 180 बोटल , 375 ML की 130 बोटल , 180 ML की 470 बोटल , कुल 780 बोटल IMPERIAL BLUE हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब, किमत लगभग 2 लाख 50 हजार
2. एक अदद स्कार्पियो नं0 UP - 32BP – 4042
3. एक अदद वैगनआर नं0 UP - 14AM - 0730

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण* –**

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ मय हमराह फोर्स
2. उ0नि0 शंकर कुमार यादव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ मय हमराह फोर्स
3. उ0नि0 नौमी प्रसाद, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़